

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

द्वारा 17 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — रिजवाना बीबी।

बनाम

द्वितीय पक्ष — मकसुद खान।

वाद सं0 111/2022

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
12/9/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 42/2022 दिनांक 10/09/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) रिजवाना बीबी उम्र 27 वर्ष पिता शेख अजीम ग्राम किन्दिरकेला थाना बसिया बनाम द्वितीय पक्ष (1) मकसुद खान उम्र 35 वर्ष पिता बदरुद्दीन खान ग्राम किन्दिरकेला थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर लड़ाई झगडा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।	



[Signature]
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।